न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 49/2019

लक्ष्मण सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, जाति राजपूत निवासी पचेरी कलां, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार बुहाना
उनवानी सरकार बनाम लक्ष्मण सिंह अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 150/2020 निर्णय दिनांक 24.10.2019

उपस्थितिः—

1 श्री राजेश पुनिया, एडवोकेट ————————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट—— ————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 19.4.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.10.2019 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम लक्ष्मण मु0नं0 67/2019 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार तहसीलदार बुहाना के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— जमीन हाल खसरा नंबर 1291 रकबा 12.29 हैक्टर किस्म गैर मु0 पहाड़ राजस्व ग्राम पचेरी कलां में स्थित है। उक्त भूखण्ड में से तथाकथित रूप से 0.02 हैक्टर जमीन पर अपीलांट द्वारा दुकान बनाकर अतिक्रमण करने पर अदालत मातहत ने अतिक्रमण स्थल से अपीलांट को बेदखल करने का निर्णय दिनांक 24.10.2019 को पारित किया गया। [illegible] का कथन है कि अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं [illegible], सीधे पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही [illegible] गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.04.19 18:06:43 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

अपीलांट का किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलांट का विवादित भूमि पर 40-50 वर्ष पुराना कब्जा है तथा अपीलांट विद्युत व पानी का कनेक्शन भी ले रखा है। उक्त विवादित भूखण्ड के संबंध में स्वयं तहसीलदार बुहाना भी मुकदमा संख्या 350/2018 उनवानी सरकार बनाम लक्ष्मण सिंह में धारा 91 एलआर एक्ट 1956 के तहत आदेश दिनांक 28.3.2019 को पारित कर भूखण्ड को सार्वजनिक निर्माण विभाग की मानकर धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही ड्रोप की थी। अपीलांट ने कोई नया अतिक्रमण नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के कब्जेशुदा भूमि के नियमन की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। अदालत मातहत ने बिना माईन्ड अपलाई किये आदेश पारित किया है, जो खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने अपीलांट की जवाबदेही को नजरअंदाज कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना कर आदेश पारित किया है जो स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है जो, खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 24.10.2019 खारिज फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि जमीन हाल खसरा नंबर 1291 रकबा 12.29 हैक्टर किस्म गैर मु0 पहाड़ राजस्व ग्राम पचेरी कलां में स्थित है। उक्त भूखण्ड में से तथाकथित रूप से 0.02 हैक्टर जमीन पर अपीलांट द्वारा दुकान बनाकर अतिक्रमण करने पर अदालत मातहत ने अतिक्रमण स्थल से अपीलांट को बेदखल करने का निर्णय दिनांक 24.10.2019 को पारित किया गया। अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया, सीधे पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलांट के विरूद्ध धारा [illegible] कार्यवाही की गई है। अपीलांट का किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलांट का विवादित भूमि पर 40-50 वर्ष पुराना कब्जा है तथा अपीलांट विद्युत व पानी का कनेक्शन ले रखा है। अपीलांट के चारों

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.04.19 18:06:43 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

अति. जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं

तरफ आबादी भूमि है अन्य दुकान है जो पूर्व में नियमन हुआ है। अपीलांट गरीब व्यक्ति है। उक्त विवादित भूखण्ड के संबंध में स्वयं तहसीलदार बुहाना भी मुकदमा संख्या 350/2018 उनवानी सरकार बनाम लक्ष्मण सिंह में धारा 91 एलआर एक्ट 1956 के तहत आदेश दिनांक 28.3.2019 को पारित कर धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही ड्रोप की थी। अपीलांट ने कोई नया अतिक्रमण नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के कब्जेशुदा भूमि के नियमन की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आदेश जारी कर केम्पों में वर्ष 2018 से पूर्व के कब्जे को नियमन करने के आदेश जारी किये गये हैं। अदालत मातहत ने अपीलांट की जवाब देही को नजरअंदाज कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना कर आदेश पारित किया है जो स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है जो, खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 24.10.2019 खारिज फरमाया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजस्व ग्राम पचेरी कलां में राजकीय भूमि खसरा जमीन हाल खसरा नंबर 1291 रकबा 12.29 हैक्टर किस्म गैर मु0 पहाड़ तथाकथित रूप से 0.02 हैक्टर जमीन पर अपीलांट द्वारा दुकान बनाकर अतिक्रमण करने पर अदालत मातहत ने अतिक्रमण स्थल से अपीलांट को बेदखल करने का निर्णय दिनांक 24.10.2019 को पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन है विवादित भूमि पर अपीलांट के पिता के समय का करीब 40–50 वर्ष पुराना कब्जा है, चारों तरहफ आबादी बसी हुई है व दुकान आदि बनी हुई हैं। अपीलांट के बिजली पानी का कनेक्शन है, विवादित भूमि की किस्म गैर0 मु0 पहाड़ दर्ज रिकार्ड है, जो नियमन योग्य है। अपीलांट गरीब व्यक्ति है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आदेश जारी कर केम्पों में वर्ष 2018 से पूर्व के कब्जे को नियमन करने के आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.04.19 18:06:43 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

जारी किये गये हैं। पूर्व में एक बार धारा 91 एलआर एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही ड्रोप होने पर उसी अदालत द्वारा पुनः कार्यवाही नहीं की जा सकती । अपीलांट द्वारा अपील के साथ विद्युत कनेक्शन के बिल आदि प्रस्तुत किये गये है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर अपीलांट का पक्का निर्माण है। अतिक्रमित भूमि की किस्म गैर मु0 पहाड़ है जिसको नियमन करने में कोई बाधा नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.10.2019 उनवानी सरकार बनाम लक्ष्मण सिंह मु0नं0 150/2019 निरस्त किया जाता है । पत्रावली इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि विवादित भूमि का तहसीलदार बुहाना स्वयं मौका निरीक्षण कर राज्य सरकार के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में राजस्व रिकार्ड आदि का परीक्षण कर अपीलांट के पुराने कब्जे के संबंध में विद्युत कनेक्शन आदि की जांच कर अगर नियमन कार्यवाही में कोई बाधा नहीं है तो नियमन की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित करते हुये विधिसम्मत कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 19.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.4.2021

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.04.19 18:06:43 IST
Reason: SelfAttested